



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: 4435/अका./का.प./2017

रायपुर, दिनांक : 11/07/2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की तीसरी* बैठक शुक्रवार, दिनांक 07.07.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. अमरकांत पाण्डेय	-	सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	-	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	-	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) जेड.टी. खान	-	सदस्य
6. डॉ. के.एल. वर्मा	-	सदस्य
7. डॉ. चंद्र कुमार चन्द्राकर	-	सदस्य
8. डॉ. डी.एन. वर्मा	-	सदस्य
9. श्री एस.के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
10. डॉ. बी.एल. तिवारी	-	सदस्य
11. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
12. श्री नरेश चंद्र गुप्ता	-	सदस्य
13. प्रो. आर.पी. दीक्षित	-	सदस्य
14. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	-	सदस्य
15. श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय सूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 22.05.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.05.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।
02. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.05.2017 के कार्यवाही विवरण पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.05.2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।
03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 एवं 29.06.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
- निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 एवं 29.06.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

* स्वर्ण जयंती वर्ष 2014 से

04. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना ।

निर्णय : विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

05 (i) छ.ग. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 268 / एफ–2013–04–00416 / वित्त / नियम / चार नया रायपुर दिनांक 13 जून, 2017 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय : छ.ग. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 268 / एफ–2013–04–00416 / वित्त / नियम / चार नया रायपुर दिनांक 13 जून, 2017 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

(ii) छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 285 / एफ–2013–04–00416 / वित्त / नियम / चार नया रायपुर दिनांक 21 जून, 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनरों एवं 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय : छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 285 / एफ–2013–04–00416 / वित्त / नियम / चार नया रायपुर दिनांक 21 जून, 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनरों एवं 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की योजना “कर्मचारी सदस्यता अभियान–2017” के तहत 115 दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2016 तक का 93 महिनों का ई.पी.एफ. एवं ई.सी.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता अशदान 12 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 48,26,200.00 (अडतालिस लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) भुगतान का कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की योजना “कर्मचारी सदस्यता अभियान– 2017” के तहत 115 दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2016 तक का 93 महिनों का ई.पी.एफ. एवं ई.सी.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता अशदान 12 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 48,26,200.00 (अडतालिस लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) भुगतान का कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कीगई ।

(iv) DST-FIST-Level-I Anthropology हेतु प्राप्त अनुदान 33.00 लाख में से विभिन्न उपकरण जिसका मूल्य 7,90,623.00 (सात लाख नब्बे हजार छैः सौ टेईस) है, भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु।

निर्णय : **DST-FIST-Level-I Anthropology** हेतु प्राप्त अनुदान 33.00 लाख में से विभिन्न उपकरण जिसका मूल्य 7,90,623.00 (सात लाख नब्बे हजार छैः सौ टेईस) है, भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. सेमेस्टर (स्नातकोत्तर) एवं सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड. मई–जून 2017 के सुचारू संचालन हेतु 60 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रूपये 14.40 लाख का भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सेमेस्टर (स्नातकोत्तर) एवं सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड. मई–जून 2017 के सुचारू संचालन हेतु 60 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रूपये 14.40 लाख का भुगतान की सूचना ग्रहण किया गया।

07. सेमेस्टर परीक्षा 2016 के डिजीटल मूल्योंकन कार्य देयक 6,39,934=00 (छैः लाख उन्तालिस हजार नौ सौ चौतीस रूपये) भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा 2016 के डिजीटल मूल्योंकन कार्य हेतु 09,14,191=00 के देयक से 70% राशि का 6,39,934=00 (छैः लाख उन्तालिस हजार नौ सौ चौतीस रूपये) भुगतान की स्वीकृति दी गई।

08. कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 92,15,250=00 (ब्यानबे लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में प्रस्तुत।

निर्णय : वर्ष 2017 में संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 92,15,250=00 (ब्यानबे लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) भुगतान की स्वीकृति दी गई।

परीक्षा विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

09. रिखी लाल साहू, सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र B.A.,M.A. (Political Science) के अंकसूची के समर्पण को स्वीकार करने पर विचार करना।

निर्णय : रिखी लाल साहू, सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र B.A.,M.A. (Political Science) के अंकसूची के समर्पण करने के संबंध में विचार किया गया एवं प्रावधानानुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।

10. श्री मनहरण लाल ध्रुव, सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र में B.A.,M.A. (Economics, Sanskrit) के अंकसूची के समर्पण को स्वीकार करने पर विचार करना।

निर्णय : श्री मनहरण लाल ध्रुव, सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र में B.A.,M.A. (Economics, Sanskrit) के अंकसूची के समर्पण करने के संबंध में विचार किया गया एवं प्रावधानानुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

11. केन्द्रीय क्रय समिति में सदस्य मनोनीत करने हेतु विचार करना।

निर्णय : केन्द्रीय क्रय समिति में डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह, आचार्य, मनोविज्ञान अध्ययनशाला एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, आचार्य, भू-विज्ञान अध्ययनशाला को सदस्य मनोनीत किया गया।

12. केन्द्रीय अपलेखन समिति के पुनर्गठन हेतु विचार करना।

निर्णय : केन्द्रीय अपलेखन समिति में डॉ. के.के. घोष, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला को सदस्य मनोनीत किया गया।

13. 02 नग माल वाहक वाहन क्रय करने पर विचार करना।

निर्णय : 02 नग माल वाहक वाहन क्रय करने का अनुमोदन किया गया।

14. विश्वविद्यालय परिसर में बाधा रहित इन्टरनेट रखने के लिये Firewall के क्रय हेतु।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में बाधा रहित इन्टरनेट रखने के लिये Firewall के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

15. डॉ. श्रुति झा, प्राचार्य, प्रगति महा. चौबे कालोनी, रायपुर के त्याग पत्र की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : डॉ. श्रुति झा, प्राचार्य, प्रगति महा. चौबे कालोनी, रायपुर के त्याग पत्र की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया तथा महाविद्यालय को परिनियम 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति के लिये पत्र प्रेषित किया जाय।

16. दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालय को प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति करने हेतु नोटिस दिया जावे। अन्यथा की स्थिति में स्थायी सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जावेगा।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

17. डॉ दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा की धारणाधिकार समाप्त किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा की धारणाधिकार दिनांक 19.05.2017 से समाप्त किये जाने का अनुमोदन किया गया।

18. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के स्थायीकरण के संबंध में प्रस्तुत।

निर्णय : सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान को नियमानुसार स्थायीकरण करने का अनुमोदन किया गया।

19. विधानसभा सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के पत्र क्रमांक 336 दिनांक 19.05.2017 को संदर्भ में श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त (निम्न वर्ग लिपिक) कर्मचारी के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त (निम्न वर्ग लिपिक) कर्मचारी के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से विशेष ऑडिट करायी जाय।
20. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मॉ बंजारी का मंदिर के भली–भाँति संचालन हेतु विनियम के अनुशंसा के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मॉ बंजारी का मंदिर के भली–भाँति संचालन हेतु प्रस्तुत विनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए विधिक सहमति के पश्चात् आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन किया गया।
21. विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अभिलेखागार स्थापित करने के लिये प्रस्तावित विनियम का अनुमोदन करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अभिलेखागार स्थापित करने के लिये प्रस्तावित विनियम को पुनः परीक्षण किया जावे।
22. अध्यादेश 77.A के अनुसार **Proctorial Board & Discipline Committee** के गठन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।
निर्णय : अध्यादेश 77.A के अनुसार **Proctorial Board & Discipline Committee** के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।
23. बी.ए.एल.एल.बी. भाग–1 प्रथम सेमेस्टर, भाग–2 प्रथम सेमेस्टर, भाग–3 प्रथम सेमेस्टर तथा एल.एल.बी. भाग–1 द्वितीय सेमेस्टर के पुनः मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षाफल समिति की अनुशंसानुसार अंक दर्ज कर परिणाम घोषित करने बाबत्।
निर्णय : बी.ए.एल.एल.बी. भाग–1 प्रथम सेमेस्टर, भाग–2 प्रथम सेमेस्टर, भाग–3 प्रथम सेमेस्टर तथा एल.एल.बी. भाग–1 द्वितीय सेमेस्टर के पुनः मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षाफल समिति की अनुशंसानुसार अंक दर्ज कर परिणाम घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
24. 19 ई. शोध पत्रिकाओं के लिय M/S Total Library Solutions (India), New Delhi द्वारा प्रस्तुत देयक क्र. RPPCI/TLS/PRSSUR/2017/001 दिनांक 22.06.2017 राशि रु. 22,49,839/- का भुगतान विश्वविद्यालय बजट एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना।
निर्णय : 19 ई. शोध पत्रिकाओं के लिय M/S Total Library Solutions (India), New Delhi द्वारा प्रस्तुत देयक क्र. RPPCI/TLS/PRSSUR/2017/001 दिनांक 22.06.2017 राशि रु. 22,49,839/- का भुगतान विश्वविद्यालय बजट एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

25. अधिकारी / कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिये जाने के लिये शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : अधिकारी / कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिये जाने के लिये शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

26. शासन द्वारा अक्टूबर 2016 एवं मई 2017 में की गई दर वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा एजेंसी को वर्ष 2016 में 5 लाख से अधिक एवं 2017 में 8 लाख से अधिक व्यय भार होने की सूचना ग्रहण करने एवं विश्वविद्यालय परिसर के सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था की वृद्धि हेतु कार्योत्तर स्वीकृति

(A) सुरक्षा – 01.07.2017 से 31.07.2017

सफाई – 01.06.2017 से 31.07.2017

उपरोक्त सुरक्षा एवं सफाई कार्यों के लिये प्राप्त निविदा को दिनांक 4 एवं 5 जुलाई 2017 को खोला गया इसलिए

(1) सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 01.08.2017 से 31.08.2017 तक एक माह के लिए

(2) साफ–सफाई व्यवस्था दिनांक 01.08.2017 से 31.08.2017 तक एक माह के लिए
स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा एजेंसी को वर्ष 2016 में 5 लाख से अधिक एवं 2017 में 8 लाख से अधिक व्यय भार होने की सूचना ग्रहण करते हुए विश्वविद्यालय परिसर के सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था में निम्नानुसार की गई वृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई –

(A) सुरक्षा – 01.07.2017 से 31.07.2017

सफाई – 01.06.2017 से 31.07.2017

(B) उपरोक्त सुरक्षा एवं सफाई कार्यों के लिए प्राप्त निविदा को दिनांक 04 एवं 05 जुलाई 2017 को खोला गया है जो प्रक्रियाधीन है। अतः पूर्व में कार्यरत संस्था को पूर्व दर अनुसार सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु आगामी 01 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक अथवा नई व्यवस्था के आदेश जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की समयावधि में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

27. विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा–2016 के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनलमूल्यांकन में समन्वयक के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में गठित जांच समिति के निष्कर्ष एवं वित्तीय अनियमितता / आपत्तियों के संबंध में विचार किये जाने हेतु।

निर्णय : पुनर्मूल्यांकन समन्वयक डॉ. व्ही.एन. दुबे एवं अन्य संबंधितों को परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से पृथक रखा जाय तथा इस प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

28. गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की शासी निकाय द्वारा वनस्पति शास्त्र के सहा. प्राध्यापक की सेवा समाप्ति किये जाने हेतु प्राप्त कार्यवृत्त का परीक्षण कर, आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

निर्णय : गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की शासी निकाय द्वारा वनस्पति शास्त्र के सहा. प्राध्यापक की सेवा समाप्ति किये जाने हेतु प्रावधानानुसार अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

29. शिक्षकों के रिक्त पदों एवं केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति के द्वारा दिनांक 28.06.2017 एवं 06.07.2017 को आयोजित साक्षात्कार में की गई अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले गये तथा नियुक्ति हेतु मान्य किया गया –

Interview Date	Subject	Post	Name	With Effect From
28-06-2017	Library and Information Science	Assistant Professor Stage 1 to 2 (CAS)	Dr. Harish Kumar Sahu	08-11-2016
06-07-2017	Law	Assistant Professor Stage 1 to 2 (CAS)	Dr. Priya Rao	09-11-2016

30. जैविकी अध्ययन शाला के प्राध्यापक डॉ. ए.के. पति को जी.एम. यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर (उड़िसा) में कुलपति नियुक्त होने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुए कार्यमुक्त होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 4436 /अका. /का.प. /2017
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 11 /07/2017

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)